Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor: 6.889, Volume 12, No. 02, April-June 2022, pp. 115-118

चित्तौड़गढ जिले में अफ़ीम की कृषि के पर्यावरणीय प्रभावों का भौगोलिक विश्लेषण

महेश कुमार मीणा*

सार

चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के दक्षिण एवम् दक्षिण पूर्वी भाग में 24^{0}13′ से 25^{0}13′ उत्तरी अंक्षाश और 74^{0}04′ से 75^{0}53′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके पूर्वी भाग में कोटा जिला ओर मध्यप्रदेश का नीमच जिला, दक्षिण में प्रतापगढ जिला पश्चिम में उदयपुर एवम् राजसमन्द जिले तथा उत्तर में भीलवाड़ा और बूंदी जिले स्थित है। चित्तौडगढ़ जिले की जलवायु उष्ण कटिबंधीय शुष्क है और औसत अधिकतम एवम् औसत न्यूनतम तापमान 35.7 डिग्री एवम् 21 डिग्री सैटीग्रेड है। तथा औसत वार्षिक वर्ष 841.5 मिलीमीटर है। यहां खरीफ फसलों के अन्तर्गत मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार तथा रबी की फसलों के अन्तर्गत गेहूँ, सरसो तथा गन्ना की फसल उगाई जाती है। अफ़ीम चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख नकदी फसल है जो रबी ऋतु में उगाई जाती है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का अग्रणी अफ़ीम उत्पादक जिला है। जिले की सभी ग्यारह तहसीलों में अफ़ीम की फसल उगाई जाती है।

शब्दकोशः *जलवायु, औसत वर्षा, रबी, नगदी फसल।*

प्रस्तावना

अफ़ीम एक नकदी फसल है। जिसका उत्पादन औषधीय उद्देश्य से किया जाता है। एन.डी.पी.एस. एक्ट की अनुमति और मेडिकल और वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए अफ़ीम की खेती को विनियमित भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नारकोटिक्स की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (ब्ठछ) ग्वालियर (मध्यप्रदेश) द्वारा अफीम की खेती के लिए किसानों को लाइसेंस जारी किये जाते है। राजस्थान के झालावाड़, बांरा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ व चित्तौड़गढ़ जिलों के अधिसूचित क्षेत्रों में अफ़ीम की खेती की जाती है।

जिला समुद्री तल से एक हजार छः सौ फीट औसतन ऊँचाई पर स्थित है। प्रसिद्ध अरावली श्रेणी की पहाड़ियॉ सम्पूर्ण क्षेत्र में छितरी हुई है। जिले के पश्चिम, दक्षिणी तथा उत्तरी भाग कुछ – कुछ मैदानी है परन्तु पहाड़ियों से घिरे हुए है। चम्बल, बनास, बैडच जिले में बहने वाली प्रमुख नदियाँ है तथा बॉगन, गम्भीरी, ब्राह्मणी व गुंजली उनकी सहायक नदियॉ है।

जिले के परिश्चम भाग में प्राचीनतम शैल पायी जाती है जिनमें स्लेट, फाइलाइट, डोलोमाइट की पट्टियों से अन्तरविष्टित अभ्रक की स्तरित चट्टाने है जिनमें ढलवा पत्थर, ग्रिटस पोसिलेन्टर, चूना पत्थर तथा स्लेटी पत्थर शामिल है। जिले की भदेसर, भैसरोड़गढ, बेगू की मृदायें पहाड़ी ढलाने वाली व कम गहरी है। राशमी, गंगानगर, कपासन, डूंगला, भूपालसागर पंचायत समिति की मृदांए हल्के भूरे रंग की है। शेष बड़ीसादड़ी, निम्बाहैडा तथा चित्तौड़गढ पंचायत समिति की मृदायें गहरी मध्यम भूरे रंग की है।

* सहायक आचार्य–भूगोल, राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान।

शोध का उद्देश्य

- अफ़ीम की कृषि का चित्तौड़गढ जिले में गहन अध्ययन।
- शोध क्षेत्र की अन्य फसलों व अफ़ीम का तुलनात्मक अध्ययन।
- शोध क्षेत्र में अफ़ीम की फसल से पड़ने वाले पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय प्रभावों का विश्लेषण।

शोध परिकल्पना

अफ़ीम की असाधारण विशेषताओं तथा प्रमख नकदी फसल होने के कारण यह अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक तथा पारिस्थितिकीय दशाओं (विशेषतः भू जल–स्तर, वनस्पति आवरण में कमी तथा मृदा एवम् जल प्रदूषण) को प्रभावित कर रही है।

अध्ययन विधि तंत्र

शोध क्षेत्र का आनुभविक (Empirical) अध्ययन के साथ–साथ द्वितीयक ऑकडो (नारकोटिक्स विभाग, कार्यालय जिलाकलक्टर (भू.अ.) चित्तौड़गढ़ कार्यालय जिला सांख्यिकी अधिकारी चित्तौड़गढ) का तुलनात्मक विश्लेषण़

अध्ययन क्षेत्र का भूमि उपयोग

अध्ययन क्षेत्र में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय है। क्षेत्र में रबी, खरीफ व जायद सभी प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। साथ ही अफ़ीम क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अफ़ीम के लिए प्रतिवर्ष जारी लाइसेंस व इसकी गैर कानूनी कृषि का क्षेत्र के भूमि उपयोग पर प्रभाव देखने को मिलता है। रबी व खरीफ के फसलों के क्षेत्रफल में पांच वर्षो (2011–12 से 2015–16) के ऑकडों के अध्ययन से स्पष्ट अन्तर क्षेत्र में देखने को मिला है –

वर्ष	खरीफ (क्षेत्रफल – हैक्टर)	रबी (क्षेत्रफल हैक्टर)
2011–2012	297376	205672
2012–2013	298673	215763
2013–2014	301105	232409
2014–2015	298557	244093
2015–2016	314381	232936

उक्त ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि पॉच वर्षो में खरीफ की तुलना में रबी के क्षेत्रफल में तेजी से वृद्धि हुई है। जिसका प्रभाव यहॉ के जलदोहन पर भी पड़ा है।

इन्हीं पॉच वर्षों (2011–2012 से 2015–2016) के भूमि उपयोग को नीचे तालिका में दिया गया है।

भूमि उपयोग

(प्रतिशत)

		2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015	2015–2016
1.	जंगलात	16.01	16.02	16.03	16.06	16.22
2.	कृषि अयोग्य भूमि	15.42	17.76	15.43	15.46	15.60
3.	जोत रहित भूमि	22.62	22.34	21.90	21.47	20.80
4.	पड़त भूमि	4.40	4.68	4.49	4.60	4.51
5.	वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल (दुपज घटाकर)	41.55	41.54	42.15	42.41	42.87
योग		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जोत रहित भूमि तथा वास्तविक बोये गए क्षेत्रफल में सतत रूप से वृद्धि हुई है तथा कृषि अयोग्य भूमि के क्षेत्रफल में कमी देखने को मिली है। जिसका प्रभाव शोध क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र व जल के दोहन पर पड़ा है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है :–

(हैक्टर)

वर्ष	कुल सिंचित क्षेत्रफल
2011–2012	218592
2012–2013	228280
2013–2014	241236
2014–2015	259806
2015–2016	261075

अध्ययन क्षेत्र में अफ़ीम की कृषि

अध्ययन क्षेत्र की सभी गयारह तहसीलों में अफ़ीम की कृषि की जाती है। अफ़ीम की कृषि पर अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी अफ़ीम नीति का इसके उत्पादन व वितरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र को नारकोटिक्स विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए तीन खण्डों में बांटा गया है जो निम्न प्रकार है :–

प्रथम खण्ड	द्वितीय खण्ड	तृतीय खण्ड
भटेसर	गंगरार	निम्बाहेड़ा
चित्तौड़	राशमी	बड़ी सादड़ी
वल्लभनगर	डूंगला मावली भूपालसागर कपासन	

अफ़ीम कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल पर भारत सरकार की अफ़ीम नीति का व्यापक प्रभाव पड़ता है साथ ही किसानों को जारी अनुज्ञप्ति में कमी तथा अफ़ीम नीति में प्रति रकबे में उत्पादन की सीमा निर्धारित करने से किसानों के अफ़ीम पट्टे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सामान्यतः अफ़ीम नीति में यह प्रवृत्ति देखने को मिली है कि नवीन पट्टे बहुत कम जारी किये जाते है। पुराने लाइसेंस को ही पट्टे जारी किये जाते है यदि अनुज्ञप्तिधारी अफ़ीम नीति के नियमों को पूरा करता है। वर्ष 2016–17 से 2019–20 में शोध क्षेत्र के अफ़ीम क्षेत्रफल में कभी देखने को मिली है जैसा कि तालिका से स्पष्ट है –

क्षेत्रफल (हैक्टर)

वर्ष	प्रथम खण्ड	द्वितीय खण्ड	तृतीय खण्ड
2016–17	614.88	519.93	821.25
2017–18	215.35	170.96	357.80
2018–19	445.00	375.80	505.18
2019–20	400.68	329.98	354.80

तालिका से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र में अफ़ीम के अन्तर्गत क्षेत्रफल में कमी आयी है। लेकिन किसानों द्वारा पुनः अनुज्ञप्ति की प्राप्ति की उम्मीद के कारण कमी वाले भू–भाग में अन्य फसलों को उगाने की प्रवृति देखने को नहीं मिली है। साथ ही प्रतिवर्ष जारी अफ़ीम नीति में तय मापदण्ड से कम अफ़ीम उत्पादन पर लाइसेंस भी रद्द कर दिये जाते है। तीन वर्षो (2017, 2018, 2019) में अध्ययन क्षेत्र में 15000 किसानो के लाइसेंस रद्द कर दिये गये। शोध क्षेत्र के भूमि उपयोग पर अफ़ीम क्षेत्रफल की कमी का प्रभाव वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल पर न के बराबर है।

अफ़ीम उत्पादन का अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव

अध्ययन क्षेत्र में अफीम क्षेत्रफल व शेष फसलों के अन्तर्गत वास्तविक बोये क्षेत्रफल का एक–दूसरे पर व्यापक प्रभाव देखने को नहीं मिलता, जैसा कि भूमि उपयोग व अफ़ीम उत्पादन वितरण तालिकाओं से स्पष्ट होता है लेकिन क्षेत्र में सिंचाई के लिए भू जल दोहन व रासायनिक उर्वरको का उपयोग, दोनों में बढोतरी की प्रवृति देखने को मिली है जो शोध क्षेत्र के पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है।

अफ़ीम की कृषि पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में की जाती है तथा कीमते भी सरकार द्वारा ही तय की जाती है जो बहुत अधिक नही होती है। अफ़ीम की क्रेयता भी केवल सरकार ही है लेकिन तस्करी से प्रति किलो ग्राम से लाखो की आय होती है। जो कृषकों को क्षेत्र में अवैध अफ़ीम उत्पादन को प्रेरित करती है।

अवैध अफ़ीम की कृषि क्षेत्र में वनोन्मूलन को बढाती है। तृतीय खण्ड (निम्बाहेडा, बडी सादडी) में वनोन्मूलन अवैध कृषि के कारण अधिक हुआ है। वनोन्मूलन से शोध क्षेत्र की जैव विविधता में कमी हुई है।

अफ़ीम नीति में तय मापदण्डो को पूरा करने के लिए, अफ़ीम कृषक अफ़ीम उत्पादन बढाने के लिए अधिक रासायियनक उर्वरक, पेस्टीसाइड व सिंचाई का उपयोग करते है। जिसके कारण उत्पादन क्षेत्र की मृदा की गुणवत्ता में कमी आयी है साथ ही अध्ययन क्षेत्र के ढाल वाले अफ़ीम उत्पादक क्षेत्र (जैसे चित्तौड) में मृदा अपरदन समस्या अधिक देखने को मिल रही है। अफ़ीम उत्पादक क्षेत्रों के आनुभाविक अध्ययन से यह भी देखने को मिला कि अफ़ीम खेती के बाद मृदा में कार्बोनिक अव्यय, नाईट्रोजन , फोस्फोरेन तथा सूक्ष्म पोषको की कमी हो जाती है। साथ ही मृदा में अम्लीयता व एल्यूमिनियम की अधिकता देखने को मिली है । मृदा की गुणवत्ता में कमी सूक्ष्म जीवाणुओं व जीवों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अध्ययन क्षेत्र में पक्षियों द्वारा अफ़ीम के सेवन से इनकी संख्या पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा जैव विविधता में कमी आयी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल एन.एल. (2003) ''भारतीय कृषि का अर्थतंत्र'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
2. डाँगी आर.सी. (2004) ''राजस्थान में चित्तौड़गढ जिले में अफीम उत्पादको की प्रशिक्षण आवश्यकताओं एवम् बाधाओं का चिन्हित करना।
3. राठौड़ जी.एस. (1997) –''तुषारपात का रासायनिक नियंत्रण एवम् अफ़ीम की दो किस्मों के निष्पादन पर प्रक्षेत्र खाद के उपयोग का प्रभाव।
4. रिपोर्ट (2009, 2010, 2018, 2019, 2020) नारकोटिक्स विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ।
5. कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.), चित्तौड़गढ़।
6. कार्यालय जिला सांख्यिकी अधिकारी, चित्तौड़गढ़।

♦❐♦